न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2012-113(GCMS 2012-00046)

राज्य सरकार
जरिये तहसीलदार भोपालगढ
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

ब
ना
म

सतगुरू भोलाराम जी महाराज की देवरी धाम समाधि स्थल, रतकुडिया जरिये महन्त रमैयादास चैला बस्तीराम जी महाराज जाति संत कबीर, निवासी रतकूडिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सत्यमेव जयते जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 10 सितम्बर 2012 राजस्व मूल वाद संख्या 195/2012 अनवान सतगुरू भोलाराम जी महाराज देवरी धाम जरिये महन्त रमैयादास बनाम सरकार

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 18 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 195/2012 सतगुरू भोलाराम जी महाराज देवरी धाम जरिये महन्त रमैयादास बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 सितम्बर 2012 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 अक्तूबर 2012 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. ने आराजी खसरा संख्या 96 रकबा 24 बीघा बारानी चारम वाके मौजा रतकूडिया तहसील भोपालगढ के संबंध में एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत प्रस्तुत किया, जिसका प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से जबाब पेश कर विरोध किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दादरसी सहित कुल पांच तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 सितम्बर 2012 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपनी लिखित बहस एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये है। बिना किसी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य के विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. के पक्ष में दावा डिकी करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा वादी को एडमिटेड टीनेन्ट मानने में भी भूल की गयी है, क्योंकि न तो वादी-रेस्पो. का वादग्रस्त आराजी पर बतौर टीनेण्ट कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने से दावा प्रस्तुत किये जाने तक निरन्तर रहा है और न ही अन्य किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी बाबत वादी-रेस्पो. को खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। वादग्रस्त आराजी मिसल बंदोबस्त संवत 2011 से 2023 में गैरमुमकिन भाखर दर्ज है, उसमें से 30 बीघा भूमि की किस्म

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

वादी-रेस्पो. द्वारा वाद में बारानी चतुर्थ बतायी गयी है, किन्तु किस्म परिवर्तन के संबंध में न तो वादी-रेस्पो. द्वारा कोई विवरण मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और न ही विचारण न्यायालय द्वारा इस बिन्दु बाबत कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी ठोस आधार के वादग्रस्त आराजी पर वादी-रेस्पो. का 100 वर्षो पुराना कब्जा माना गया है, जबकि समय-समय पर विभिन्न मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि राजकीय भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि वादी-रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजी का पट्टा 08 फरवरी 1945 को महाराज श्री बिजेसिंह द्वारा जारी किये जाने संबंधित अभिकथन निहायत ही मनगढन्त एवं बेबुनियाद है। खसरा संख्या 96 की सम्पूर्ण भूमि गैरमुमकिन भाखर दर्ज चली आ रही है जिसमें से 24 बीघा भूमि की कोई तरमीम नहीं हुई है और न ही पट्टे में कोई खसरा नम्बर अंकित है। खसरा 96 की 30 बीघा भूमि को काबिल काश्त के आधार पर उसमें से 6 बीघा भूमि का नियमन लूम्बा मेघवाल के नाम से किया गया, उक्त आदेश की आड में ही वादी-रेस्पो. 24 बीघा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात भी कायम नहीं की गयी और आनन फानन में अत्याधिक जल्दबाजी बरतते हुए दावा डिकी कर दिया गया। अंत में राजकीय अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस में जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। जिसके खिलाफ प्रस्तुत आलौच्य अपील में कोई सारभूत कानूनी बिन्दु निहित नहीं होने से अपील संधारण योग्य ही नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाव में वादपत्र के बिन्दु एक व दो को स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी-रेस्पो. का विगत 100 सालों से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है और मौके पर मन्दिर बना हुआ है। मंदिर में श्रृद्धालुओं के आवागमन, धार्मिक आयोजन होने तथा बिजली का कनेक्शन होने के तथ्यों को भी प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाबदावा में स्वीकार किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के पूर्व ही रियासतकालीन पट्टा वादी-रेस्पो. के पक्ष में तत्कालीन महाराज बीजेसिंह जी द्वारा खसरा संख्या 24 ग्राम रतकुडिया का दिनांक 08 फरवरी 1945 को देवरी धाम के नाम से पट्टा जारी किया हुआ है। तब से बतौर खातेदार वादी-रेस्पो. का ही कब्जा एवं मालिकाना अधिकार चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वादी-रेस्पो. को स्वतः ही वादग्रस्त आराजी बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है। मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूलवश राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं हुआ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार बनाम प्रेमशंकर के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 19 में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रावधान किये गये है और इस प्रकिया में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए धारा 19(1ए) जोडी गयी, जो कि अधिनियम में सब-टीनेण्ट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वास्तविक काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु प्रमुख भूमि सुधारों में से एक है। इन श्रेणियों में आने वाले व्यक्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार अर्जित हो जाते है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवाद निष्कर्ष पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने आलौच्य अपील निराधार एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत होने पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रतिवादी-अपीलाण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जबाबदावा पेश किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया-

1. आया मौजा रतकूडिया तहसील भोपालगढ के खसरा नम्बर 96 रकबा 24 बीघा बारानी चतुर्थ भूमि पर वादी का आश्रम एक सौ वर्ष पुराना है? ... जिम्मे वादी
2. आया वादीग्रस्त भूमि पर वादी का वर्षो से कब्जा व उपयोग उपभोग होने से वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी
3. आया आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद काबिल खारिज है? ... जिम्मे प्रतिवादी
4. आया पूर्व स्टेट टाइम के जारी पट्टा वेलिड (मान्य) नहीं है? ... जिम्मे प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. अनुतोष?

अपने वाद की ताईद में वादी-रेस्पो. की ओर से प्रदर्श - 1ए रियासतकालीन जारी पट्टा (विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 18) जो तत्कालीन ठाकुर श्री विजेसिंहजी द्वारा कबीरपन्थी साधु भोलाराम जी की समाधि पर निर्माण हेतु जारी किया गया, प्रस्तुत किया एवं रमैयादास चेला बस्तीराम जी महाराज आयु 54 साल जाति सन्त कबीरपंथी निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-1), रामचन्द्र चौधरी पुत्र किसनाराम आयु 65 साल जाति जाट निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-2), पारसमल पुत्र नारायणराम आयु 62 साल जाति जाट निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-3), धन्नाराम बेन्दा पुत्र थानाराम बेन्दा आयु 63 साल निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-4), रामदीन सेंवर पुत्र सांलराम सेंवर आयु 69 साल निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-5), रामप्रकाश पुत्र रामदीन बेन्दा आयु 50 साल निवासी रतकूडिया पूर्व सरपंच (पीडब्ल्यु-6), लुम्बाराम पुत्र जोगाराम आयु 66 साल निवासी रतकूडिया (पीडब्ल्यु-7), पूर्व सरपंच भलाराम सेंवर पुत्र अणदाराम आयु 72 साल निवासी रतकूडिया पूर्व सरपंच (पीडब्ल्यु-8), धनीदेवी पत्नी भल्लाराम सेंवर आयु 70 साल निवासी रतकूडिया पूर्व सरपंच (पीडब्ल्यु-9), एवं हेमाराम पुत्र गीगाराम आयु 63 साल निवासी रतकूडिया पूर्व सरपंच (पीडब्ल्यु-10) के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये। इन सभी गवाहान द्वारा अपने शपथपत्रों में वादी-रेस्पो. के वाद की ताईद की गयी है। वादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से कोई जिरह नहीं की गयी। प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. के वाद के खण्डन एवं तनकी संख्या 3 व 4 अपने पक्ष में सिद्ध करने के निमित्त प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत पट्टे के अवलोकन से प्रकट होता है कि फाल्गुन कृष्णा एकादशी संवत 2001 तारीख 08 फरवरी 1945 को जारी उक्त पट्टे के जरिये पीढी दर पीढी पाटवी चेला को अधिकार प्रदान किये गये है और भूमि का विवरण ग्राम रतकुडिया में स्थित कबीरपन्थी साधु भोलाराम जी समाधि अंकित करते हुए पुरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण का नाप भी अंकित किया गया है। उक्त पट्टा विधि-विरुद्ध होने अथवा अमान्य होने के संबंध में कोई ठोस आधार अथवा साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अपने जबाब दावा में प्रतिवादी-अपीलाण्ट द्वारा खतौनी बंदोबस्त संवत 2011 से 2030 में खसरा संख्या 96 कुल रकबा की किस्म गैरमुमकिन भाखर दर्ज होना बताते हुए उसमें से संवत 2027 से 2030 में खसरा संख्या 30 बीघा भूमि काबिल काश्त होने से अलग खसरा किस्म बारानी चतर्थ दर्ज की जाकर उसमें से 6 बीघा भूमि लुम्बा पुत्र जोगा कौम मेघवाल साकिन रतकुडिया को आवण्टित होना जाहिर किया गया है। जिससे वादपत्र में वर्णित इस अभिकथन की पुष्टि हो जाती है कि मौके पर 24 बीघा भूमि काबिल काश्त होकर बारानी चारम किस्म की है। आंशिक नकल जमाबंदी (खतौनी) ग्राम रतकूडिया संवत 2060-2063 में भी खसरा संख्या 96 रकबा 24 बीघा किस्म बारानी चार अंकित है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष अपने जबाब दावा में प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से बिन्दु संख्या 2 व 3 आंशिक तौर पर स्वीकार करते हुए देवरी धाम मूल खसरा संख्या 96 पर बना होना तथा देवरी धाम पर श्रद्धालुओं एवं भक्तो का आवागमन एवं धार्मिक आयोजन होते रहना स्वीकार किया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी-रेस्पो. की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत रियासतकालीन पट्टा दिनांक 08 फरवरी 1948, पीडब्ल्यु-एक से पीडब्ल्यु-10 गवाहान के अखण्डित शपथपत्रों एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा में आंशिक स्वीकारोक्ति के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक **(आया मौजा रतकूडिया तहसील भोपालगढ के खसरा नम्बर 96 रकबा 24 बीघा बारानी चतुर्थ भूमि पर वादी का आश्रम एक सौ वर्ष पुराना है?)** का निस्तारण वादी-रेस्पो. के पक्ष में किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः तनकी संख्या एक बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष यथावत रखा जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत किये गये विवेचन एवं पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या दो **(आया वादीग्रस्त भूमि पर वादी का वर्षो से कब्जा व उपयोग उपभोग होने से वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?)** बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

तनकी संख्या तीन (आया आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद काबिज खारिज है?) को साबित करने का दायित्व जिम्मे प्रतिवादी-अपीलाण्ट पर था, किन्तु प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आलौच्य मामले में वन विभाग पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य हो। अतः तनकी संख्या तीन का निस्तारण प्रतिवादी के खिलाफ एवं बहक वादी किया जाना सही पाया जाता है।

वादी-रेस्पो. के पक्ष में जारी रियासतकालीन पट्टा दिनांक 08 फरवरी 1948 क्यों एवं किस आधार पर मान्य नहीं है, इस बिन्दु के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-अपीलाण्ट की ओर से कोई ठोस आधार एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. के पक्ष में प्रस्तुत अखण्डित साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकी संख्या चार (आया पूर्व स्टेट टाइम के जारी पट्टा वेलिड (मान्य) नहीं है?) का निस्तारण भी वादी-रेस्पो. के हक में किया गया है, जो यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत निर्धारित प्रकिया अपनाई जाकर दावे एवं जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष अंकित करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किया जाना पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 10 सितम्बर 2012 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8.07.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर